कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल,फर्रुखाबाद ।**

प्रा0प0सं0- **337/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री रोहित गोयल ,संयोजक ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 07-08-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में फर्रुखाबाद के छपाई कुटीर उद्योग की रक्षा हेतु बिना भरी रजाईयों की प्रान्तीय / केन्द्रीय बिक्री वैट अधिनियम में करमुक्त करने सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी करने का निवेदन किया गया है।

2- व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक),वाणिज्य कर,इटावा संभाग इटावा द्वारा अपने पत्रांक 1480 दिनांक 03-09-08 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि जब रजाई छपाई के कुटीर उद्योग पर कार्यरत व्यापारी की कोई करदेयता नहीं है तो ऐसी स्थिति में वैट में कर की दर 4 प्रतिशत लागू होने से उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री रोहित गोयल ,संयोजक उपस्थित हुये व उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया ।

4- **मैंने** व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, प्राप्त विभागीय आख्या एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि व्यापारी द्वारा उठाया गया प्रश्न धारा-59 के प्रार्थना पत्र में दी गयी विषय वस्तु से सम्बन्धित नहीं है तथा चूंकि व्यापारी का प्रश्न धारा-59 की परिधि से बाहर है अतः व्यापारी का धारा -59 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 05 दिसम्बर,2008

ह0/05-12-08

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ